प्रकरण संख्या–12 / 2021 GCMS ID-2021/57 तारीख रजु–29.04.2021

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रमेश पुत्र लौहडया आयु 56 साल जाति मीना निवासी गांगुरदा तहसील व जिला करौली (राज0) – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार करौली तह. व जिला करौली– प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 22.01.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नथुआ मु.नं. 575 / 2020 जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 18.08.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 598 / 606 रकबा 120–07 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ बाके ग्राम गांगुरदा पटवार हल्का गैरई तहसील करौली में से अपीलार्थी द्वारा 2–00 बीघा भूमि पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त कैलादेवी द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 22.01.2021 पारित किया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 22.01.2021 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार करौली खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, विधि विरूद्ध, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिविरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुने बिना विधिवत् नोटिस दिये एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुये पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का जैर अपील निर्णय से संबंधित आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है। भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। अपीलाण्ट इस बाबत् न्यायालय हाजा में व अधीनस्थ न्यायालय में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 26.04.2021 को पुलिस थाना सपोटरा के कांस्टेबल द्वारा अपीलाण्ट के घर जाकर अपीलाण्ट का नायब तहसीलदार करौली का वारण्ट होने की एवं अपीलाण्ट को गिरफ्तार करने की कहने पर अपीलाण्ट को घर वालों द्वारा वारण्ट की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.04.2021 को वकील से न्यायालय नायब तहसीलदार करौली में मालूम कराने पर व नकल निर्णय दिनांक 22.01.2021 का आवेदन कराने पर एवं दिनांक 28.04.2021 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 22.01.2021 की जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। दिनांक 22.01.2021 से दिनांक 28.04.2021 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में क्षम्य किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
करौली

जानकारी दिवस दिनांक 26.04.2021 से अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अंत में अपील, अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि ग्राम गांगुरदा के आराजी खसरा नं. 598/606 रकबा 120–07 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ में से 2–00 बीघा पर अपीलार्थी द्वारा संवत् 2077 रबी में सरसों बोकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का गैरई द्वारा न्यायालय तहसीलदार करौली में पेश की गई। अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त कैलादेवी द्वारा की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वाद दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी नियमानुसार तामील के उपरांत भी अपीलार्थी न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अतः न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर में संवत् 2077 खरीफ में इसी भूमि पर अतिचार करने पर न्यायालय तहसीलदार करौली के मुकदमा नंबर 554/2020 उनवानी सरकार बनाम रमेश निर्णय दिनांक 14.10.2020 से खसरा नंबर 598/606 रकबा 2–00 बीघा भूमि पर तिल बोकर व कब्जा कर अतिचार किया गया था जिससे अपीलार्थी को बेदखल करते हुए 90/–रुपये शास्ति से दण्डित किया गया किन्तु अपीलार्थी इस भूमि पर अतिचार करने से नहीं मानता है। अपीलार्थी का यह अतिचार पश्चात्वर्ती की श्रेणी में आता है जिसे मौके पर आमजन के उपभोग के लिये खाली कराना/अतिक्रमण से मुक्त किया जाना न्याय संगत है किन्तु अपीलार्थी रकबे से अपना अतिचार नहीं हटा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार करौली ने पत्रांक–कोर्ट/2021/607 दिनांक 12.07.2021 से अवगत करवाया है कि पटवारी हल्का गैरई से जांच करवाने पर उन्होंने अवगत करवाया है कि आराजी खसरा नं. 598/606 रकबा 120–07 बीघा गै.मु. पहाड़ में से रकबा 2–00 बीघा में अतिक्रमी रमेश पुत्र लौहडया जाति मीना निवासी गांगुरदा के द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को मौके पर देखा गया, पूर्व में मौके पर फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था, वह भूमि वर्तमान में खाली पड़ी है।

अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अण्डरटेकिंग पेश कर निवेदन किया है कि मैंने आराजी खसरा नंबर 598/606 किस्म गै.मु. पहाड़ रकबा 2–00 बीघा ग्राम गांगुरदा पटवार हल्का गैरई तहसील करौली से अपना अतिक्रमण व कब्जा हटा लिया है और भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। भविष्य में मैं अपीलाण्ट उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करूंगा।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नं. 598/606 रकबा 120–07 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ बाके ग्राम गांगुरदा पटवार हल्का गैरई तहसील करौली में से 2–00 बीघा भूमि पर फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी। अपीलार्थी की नियमानुसार तामील उपरांत भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 14.10.2020 एवं फर्द बेदखली की प्रति शामिल की हैं। इस कारण प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2021 पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अण्डरटेकिंग पेश कर निवेदन किया है कि उन्होंने आराजी खसरा नं. 598/606 रकबा 120–07 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ बाके ग्राम गांगुरदा में से अपना अतिक्रमण/कब्जा हटा लिया है एवं वर्तमान में जमीन खाली पड़ी हुई है। तहसीलदार करौली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भी उक्त आराजी वर्तमान में खाली पड़ी हुई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया

जिला कलक्टर
करौली

है एवं अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। यदि अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करता है तो तहसीलदार करौली का उक्त आदेश दिनांक 22.01.2021 अपास्त रहेगा अन्यथा तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 22.01.2021 यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
करौली